17/5/23

2023/82

बोशो स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289
ता. पेकी स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा-183-188 वादपत्र	10/23	13-04-23	[illegible] 2/1/24	14/6/23 15/6/23 6/7/23 10/8/23 14/9/23 5/10/23 17/10/23 24/11/23 14/12/23 2/1/23

अनवान

श्री जगदीश s/o जीतमल धाकड़ श्री नाराण s/o नन्दा अहीर

निवासी बेरीसाल निवासी झाडोली

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाव

श्री रामफूल धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

जगदीश s/o मोतीलाल धाकड़ बनाम नारायण s/o नन्दा अहीर

किस्म मुकदमा 183-188 नम्बर 10 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2023	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 17/05/2023 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला-भीलवाडा	
17/5/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभायक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/6/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
14/6/23	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/6/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित, प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को 3-बार आवाज लगाई गई। परन्तु अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 6/7/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	6/7

6/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/8/23 को वास्ते साक्ष्य। पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
10/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्ते साक्ष्य पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वादी के बयान लिए गए, जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 05/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
05/10/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
17/10/2023	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/11/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
21/11/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
12/12/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
02/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं निर्णय पृथक से विस्तृत रूप में लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 13.04.2023

वादपत्र संख्या :– 10/2023

अनवान

जगदीशचन्द्र पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादी

बनाम

01. नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर बालिग पेशा कृषि निवासी झाडोली तहसील बिजोलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा बालिग पेशा कृषि निवासी रसदपुरा तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजोलियाँ, भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :– श्री रामफुल धाकड़ – अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 02/01/2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामपुरिया उर्फ चौपड़ा पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर, आराजी संख्या 162/49 रकबा 1.3274 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.5091 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0684 हेक्टेयर, आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, आराजी संख्या 161/149 रकबा 0.3642 हेक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.6511 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को भी वादग्रस्त आराजीयात को रहन विक्रय नहीं किया गया है न ही किसी को अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर कब्जा दिया गया है। वादी के खाते की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा हकाई बुआई करते समय विवाद किया जाता है एवं वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से अधिक हकाई कर दी व मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है। इस वर्ष प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा क़रने की नियत से हकाई करने की कोशिश की और वादी द्वारा मना करने पर लड़ाई झगड़ा किया। वादी अपनी सम्पूर्ण आराजीयात को नपवाने के लिये पत्थरगडी करने हेतु आवेदन कर दिनांक 25.05.2022 को विवादित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु पत्थरगढी करवायी तो इस तथ्य की जानकारी हुई कि वादी के आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हेक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0684 हैक्टेयर में से 0.4560 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा का कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण कब्जा हटाने के लिये तैयार नही हुये और कब्जा वादी को नहीं सोपा इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि ग्राम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपड़ा पटवार हल्का आरोली में स्थित आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0604 हेक्टेयर में से 0.4560 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा का कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें व न ही किसी अन्य से करवाये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वाबजूद तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू-1 जगदीशचन्द्र पिता जीतमल जाति धाकड़ नि0 बेरीसाल को प्रस्तुत कर कथन लेखबद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 मौजा रामपुरियां उर्फ चौपड़ा की नकल पेश की जो Ex-1 हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 मौजा रामपुरियां उर्फ चौपड़ा की नकल पेश की जो Ex-2 हैं। पत्थरगढी का मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि Ex-3 पेश की हैं।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की कोई जवाबदावा, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं वाद की सत्यता बाबत् वादीगण ने स्वयं वादी जगदीशचन्द्र पिता जीतमल जाति धाकड़ नि0 बेरीसाल के बयान कराये हैं। उक्त वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति के बदले में मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान् अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत् 2074-2077 मौजा रामपुरियां उर्फ चौपड़ा व जमाबन्दी संवत् 2074-2077 मौजा रामपुरियां उर्फ चौपड़ा द्वारा ग्राम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपड़ा पटवार हल्का आरोली में स्थित आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0604 हेक्टेयर में से 0.4560 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा का कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण चाही हैं। जो वांदी की पत्रावली में पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 – 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध डिक्री किया जाता हैं।

–: आदेश :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 नाराण अहीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 सिंघा बंजारा डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपड़ा पटवार हल्का आरोली में स्थित आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0604 हेक्टेयर में से 0.4560 हेक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 02/01/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या :– 10/2023

दायर तारीख 13.04.2023

अनवान

जगदीशचन्द्र पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादी

बनाम

01. नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर बालिग पेशा कृषि निवासी झाडोली तहसील बिजोलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा बालिग पेशा कृषि निवासी रसदपुरा तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजोलियाँ, भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 02/01/2024

डिक्री दिनांक :– / /2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादी अधिवक्ता श्री रामफुल धाकड प्रतिवादीगण एकपक्षीय हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 नाराण अहीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 सिंघा बंजारा डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपड़ा पटवार हल्का आरोली में स्थित आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0604 हेक्टेयर में से 0.4560 हेक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु **स्थायी निषेधाज्ञा** जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या :– 10/2023 दायर तारीख 13.04.2023

अनवान

जगदीशचन्द्र पुत्र जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादी

बनाम

01. नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर बालिग पेशा कृषि निवासी झाडोली तहसील बिजोलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा बालिग पेशा कृषि निवासी रसदपुरा तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजोलियाँ, भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 02/01/2024

डिक्री दिनांक :– 02/01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादी अधिवक्ता श्री रामफुल धाकड प्रतिवादीगण एकपक्षीय हुकम दियां जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 नाराण अहीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 सिंघा बंजारा डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मौजा रामपुरिया उर्फ चोपड़ा पटवार हल्का आरोली में स्थित आराजी संख्या 149/122 रकबा 0.2185 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी संख्या 144/135 रकबा 1.0604 हेक्टेयर में से 0.4560 हेक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 नाराण पुत्र नन्दा जाति अहीर निवासी झाडोली एवं आराजी संख्या 143/139 रकबा 1.1817 हैक्टेयर में से 0.1440 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 02 सिंघा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी रसदपुरा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावें। एवं वादी की आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादी को बेदखल नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य से करवाने हेतु **स्थायी निषेधाज्ञा** जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकालत नामा	–		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)